भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1363

(जिसका उत्तर 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है)

बैंकों में सुरक्षा सेवाएं

1363. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों और बैंकों के लॉकरों की सुरक्षा कमजोर स्थिति में है और बैंक लॉकरों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं होने के साथ ही बैंकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों को बैंक चोरी को रोकने के लिए अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.) बैंक लॉकरों की चोरी या लूट या छेड़छाड़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हालांकि बैंक ग्राहकों से सालाना लॉकर शुल्क के रूप में भारी शुल्क लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी किया है कि बैंक लॉकर में रखी गई मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राहकों की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। बैंकों के अनुसार, बैंक शाखाओं में समुचित शारीरिक जांच के उपायों के अतिरिक्त क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) और पैसिव इन्फ्ररेड उपकरण युक्त बर्गलर

अलार्म और फायर अलार्म प्रणाली जैसे जांच उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं तथा ये व्यवस्थाएं नियमित जांच और लेखापरीक्षा प्रणाली के अध्ययधीन हैं। इसके अलावा, बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने सूचीबद्ध और विधिवत लाइसेंस रखने वाली सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा गार्डों की तैनाती करने सहित सुरक्षा सेवाएं आउटसोर्स की हैं। बैंकों ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों में तैनात सुरक्षा गार्डों को गैर प्रतिबंधित बोर हथियार प्रदान किए गए हैं और उनके पास हथियार का लाइसेंस है।

सुरक्षित जमा लॉकरों की स्थिति के संबंध में, बैंकों ने सूचित किया है कि वे स्ट्रांग रूम और दिए गए लॉकरों की सुरक्षा के लिए उनकी समुचित देखभाल करते हैं और एहतियात बरतते हैं और इन किए गए सुरक्षा उपायों में लॉकर रूम की सुरक्षा की आवधिक समीक्षा करना शामिल है। इसके अलावा, लॉकर रूम तक पहुंच की निगरानी सीसीटीवी कैमरों द्वारा की जाती है और बर्गलर एलार्म लगाए गए हैं।

(ग) तथा (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 9.3.2001 के परिपत्र द्वारा बैंकों को यह सलाह दी है कि बैंकों की देयता घटना की वास्तविकता और परिस्थितियों पर निर्भर है और यह कि लीज समझौते की शर्तों के बावजूद, पट्टाधारक को लॉकर की सामग्री का बीमा कराना चाहिए और यह कि लापरवाही (स्ट्रांग रूम की स्थिति, लॉकर, सुरक्षा उपाय, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए) प्रमाणित होने पर बैंक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 17.4.2017 को बैंकों को बैंक लॉकरों की सुरक्षा के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंक ग्राहकों को दी गई लॉकरों की सुरक्षा के लिए समुचित निगरानी करें और आवश्यक सावधानी बरतें, सतत् आधार पर प्रवृत्त प्रणालियों की समीक्षा करें और आवश्यक कदम उठायें, सुप्रलेखित सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाएं, संबंधित कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करें और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन हो। बैंकों ने आरबीआई के उक्त परामर्श/दिशानिर्देशों के अनुरूप कदम उठाए हैं।

*****